



ગાજિયાબાદ વિકાસ પ્રાધિકરણ

વિકાસ પથ, ગાજિયાબાદ।

પત્રાંક : ૧૦/ગારટ્ર લાન્ડ જોન -૫ |

દિનાંક : ૩.૩.૧૭

સંશોધિત માનવિત સંખ્યા : ૫૭૩/જોન-૪/૨૦૧૨-૧૩

માનવિત સ્વીકૃતિ પત્ર

સેવા મેં,

મૈને લૈણ્ડ ક્રોપટ ડલલપર્સ પ્રા. લિ.
દ્વારા ડાયરેક્ટર શ્રી મનુ ગર્ન,
કારપોરેટ આફિસ ગોલ્ફ લિંક્સ, એન.એચ.-૨૪,
નિયર કોલમ્બિયા એશિયા હોસ્પિટલ, ગાજિયાબાદ।

સમર્પણ પ્રકાર ક મળન / એકબદ કા સુરક્ષા હેતુ
વિમિન સરસે પર રામસુત દીવારો હેતુ ડાયર
મારણોંની ટાઇ પીપ ડાલના ઉચિત / આવશ્યક
હૈ। જો ટીઓપીઓસીઓ લેવર સિસ્ટમ વ પ્રલ્યેક છુટ
કે જીવે ડાલે જાએ।

મહોદ્ય,

ઉપરોક્ત વિષયક આપ દ્વારા ઇન્ટીગ્રેટેડ ટાઉનશિપ યોજના કે અન્તર્ગત ગુપ્ત હાઉસિંગ ભૂખાણ સંખ્યા-પી-૧ કે
સંશોધિત માનવિત પ્રસ્તાવ પર ઉપાધ્યક્ષ મહોદ્ય દ્વારા દિનાંક ૧૫.૦૩.૧૭ કો નિયમ પ્રતિબન્ધો કે સાથ સ્વીકૃતિ પ્રદાન
કી હૈ :-

- યદું માનવિત સ્વીકૃતિ કી તિથિ સે કેવલ પાંચ વર્ષ તક વૈધ હૈ। શોફ્ટ હી વિમાણ કાર્ય કિયા કાર્યક્રમ
- માનવિતો કી ઇસ સ્વીકૃતિ સે કિસી ભી શાસકીય વિભાગ સ્થાનીય નિકાય (જેસે નગર પાલિકા, જીઓડીઓએ) અથવા કિસી અન્ય વ્યક્તિ કા અધિકાર તથા સ્વામિત્વ કિસી પ્રકાર સે પ્રભાવિત નહીં હોતા હૈ। ભૂમિ સામ્બન્ધી
વિવાદ કી સ્થિતિ મેં માનવિત કી સ્વીકૃતિ સ્વતંત્ર: નિરસ્ત માની જાયેગી।
- ભવન માનવિત જિસ પ્રયોજન હેતુ સ્વીકૃત કરાયા ગયા હૈ તસી પ્રયોગ મેં લાયા જાયેગા।
- વિજલી કી લાઈન સે નિર્ધારિત સીમા કે અન્દર એં ભવન ઉપવિધિ કે નિયમો કે અનુસાર કોઈ નિર્માણ કાર્ય
નહીં કિયા જાયેગા।
- સંદક સર્વિસ લેન અથવા સરકારી ભૂમિ પર કોઈ નિર્માણ સામગ્રી (બિલ્ડિંગ મેટીરિયલ) નહીં રખી જાયેગી તથા
ગારે પાની કી નિકાસી કી પૂર્ણ પ્રબન્ધ સ્વયં કરના હોગા।
- સ્વીકૃત માનવિતો કા એક સૈટ સ્થળ પર રખના હોગા તાકિ ઉસકી મૌકે પર કખ્ખી ભી જાંચ કી જા સકે
તથા નિર્માણ કાર્ય સ્વીકૃત માનવિતો સ્પેશીફિકેશન નિયમો કે અનુસાર હી કરાયા જાયેગા તથા ભવન કે
સ્વામિત્વ કી ભી જિમ્પેદારી ઉન્હીં કી હોગી।
- વહ માનવિત ડોપ્રો નગર યોજના એં વિકાસ અધિનિયમ-૧૯૭૩ કી ધારા-૧૫ કે અન્તર્ગત કિસી અન્ય શર્ત
કે સાથ સ્વીકાર કિયે જાતે હૈ તો વહ શર્ત ભી માન્ય હોગી।
- સંદક પર અથવા લેન મેં નિર્ધારિત સે અધિક કોઈ રેપ નહીં બનાયે જાયેગે। યહ કાર્ય અપની હી ભૂમિ પર
કરેગે।
- સુપરાવિજન એં સ્પેશીફિકેશન કી નિયમ/શર્તો કી પાલન કરના હોગા।
- ખૂન-સ્વામી દ્વારા પ્રસ્તુત શપથ પત્ર દિનાંક ૧૦.૦૧.૨૦૧૭ કો પાલન કરના હોગા।
- લેવર સેસ કે મદ મેં નિર્માણ લાગત કી અભિષેખ ધનશાશી ધૂ.પી.બિલ્ડિંગ ૫૭૫ અદર કન્સ. વર્કર્સ વેલફેયર
નોર્ડ કે ખાતા સંખ્યા ૫૦૦૩૪૨૯૭૨૦૬, ઇલાહાબાદ બેંક, ગાજિયાબાદ મેં, નિયત અવધિ મેં જમા કરણી હોગી।
- ભવિષ્ય મેં પ્રાધિકરણ દ્વારા કિયે ગયે અન્ય બાહ્ય વિકાસ કા લાભ યદિ વિકાસકર્તા કો હોતા હૈ તો ઉસકા
સમાનુપાત્રિક મૂલ્ય ગાજિયાબાદ વિકાસ પ્રાધિકરણ દ્વારા માર્ગે જાને પર ૩૦ દિન કે અન્દર પ્રાધિકરણ કો દેય
હોગા।

સ્થળ ૩૧ એક બોડ પર સ્વોકૃત માનવિત કા
સંખ્યા ૧ દિનાંક જિસુના આનેવાંધ હાણ।

✓

13. पक्ष द्वारा प्रस्तावित भवन में रूफ टाप रेन वाटर हार्डिंग व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु रु. 2,00,000/- की जमानत राशि जमा करायी गयी है, जो कि भवन समूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय रेन वाटर हार्डिंग सिस्टम के निर्माण एवं यथोचित संचालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

14. इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति 21.05.05 के अनुसार एवं शासनादेश दिनांक 28.11.06 के क्रम में समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य कराये जाने का दायित्व विकासकर्ता मैं लैण्ड क्राफ्ट ड्वलपर्स प्रा.लि. का है जो कि निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार अपनी लागत पर विकासकर्ता को स्वंयं कराने होंगे। परियोजना क्रियान्वन की अवधि में प्राधिकरण द्वारा प्राविधानित की जाने वाली नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं यथा-बन्धा निर्माण, रिंग रोड, फ्लाई ओवर, मेट्रो आदि जिनका लाभ प्रस्तावित टाउनशिप को मिलेगा, की समानुपातिक लागत विकासकर्ता कम्पनी द्वारा वहन की जायेगी।

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप पालिसी के अनुसार योजनान्तर्गत आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्यों की पूर्णता हेतु रु. 5.90 करोड़ की बैंक गारंटी विकासकर्ता द्वारा पूर्व में ड्वलपर्मेंट एग्रीमेंट के समय प्राधिकरण में जमा की गयी है, बैंक गारंटी की वैधता अवधि दिनांक 20.09.20 तक है जिसकी वैधता अवधि बढ़वानी होगी।

15. भवन में उपयोग से पूर्व समूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं समूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्डिंग कार्य पूर्ण कराना होगा। समूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। समूर्ति प्रमाण पत्र के साथ फायर विभाग का पूर्णता प्रमाण पत्र, बाह्य विकास/ आन्तरिक विकास का पूर्णता: प्रमाण पत्र, निर्माण भूकम्प विरोधी कराये जाने का प्रमाण पत्र सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्रस्तुत करनी होगी।

16. संदर्भित भूखण्ड में प्राविधानानुसार 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे एवं प्रदर्शित ग्रीन यथावत रखना होगा उबं उसका रख-रखाव भी करना होगा।

17. मानचित्र में प्रदर्शित विकासकर्ता के स्वामित्वाधीन भूमि में से यदि किसी भूमि का दाखिल खारिज बकाया है तो उसे विकासकर्ता कम्पनी के नाम दाखिल खारिज कराकर प्रस्तुत करना होगा।

18. विकासकर्ता द्वारा भू-स्वामित्व हेतु प्रस्तुत अभिलेखों एवं साक्ष्यों के विपरीत यदि कोई तथ्य पाया जाता है अथवा उसमें कोई विवाद होता है तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित निर्माणकर्ता/ विकासकर्ता कम्पनी की स्वयं की होगी। प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

19. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्प रोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र श्री बी0डी0 शर्मा (सिविल) द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन व ड्राइंग को आई.आई.टी. रूड़की के प्रोफेसर डॉ0 आर०एन दुबे द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.05.14 के माध्यम से बेट कर प्रस्तुत की गयी है। पुनरीक्षित डी.पी.आर के स्वीकृत तलपट मानचित्र में अकित समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना होगा एवं भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1- 2001-भूकम्परोधी /2001(आ.ब.) दिनांक 03.02.01, 72/9-आ-1 -2001-भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दिनांक 13.02.01 तथा शासनादेश सं. 3751/9-आ-1-1- भूकम्परोधी /2001 (आ.ब.) दिनांक 20.07.01 में ऑकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-

क- भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थायें करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

- ख- भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टोन ग्रिट, ईटें, कोर्स सैन्ड एवं मोर्टार तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्प्लिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/ संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कायों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।
- ग- निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी परीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जायेगा। क्रेटा/आवंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्य का परीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- घ- यदि स्वीकृति की किसी भी रूप का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रूक्खाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता: प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा बरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- ङ- कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आकिटैक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवाइजर इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अधिलेख भी उपलब्ध रहेंगे :-
- नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
 - अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियों।
 - अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।
 - अधिकृत आकिटैक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वार्किंग द्वाईंग जिनमें सैक्षण एवं एलीवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शमिल रहेंगे।
 - भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एण्ड पी. का विवरण।
 - साईट इंजीनियर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर
 - सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर
20. अग्नि शमन विभाग का अनापित्त प्रमाण पत्र संख्या- आर-127/जे.डी./फा०स०/लखनऊ-13 (गा०बाद)/179/243 दिनांक 14.04.2017 को एवं आर-127/जे.डी./फा०स०/लखनऊ-13 (गा०बाद)/188/277 दिनांक 30.04.2017 में वर्णित प्रतिबन्धों का पालन कराना होगा।
21. विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापित्त पत्रों में दिये गये निर्देशों एवं योजना की पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र संख्या-1809/पर्या/एस०६०४०सी०/1734/2013/जे०डी०सी०६०(एस) दिनांक 12.10.13 में वर्णित प्रतिबन्धों का पालन कराना होगा।
22. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा कोई अन्य उपयोग/निर्माण शमनीय नहीं होगा।
23. भवन निर्माण के समय सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के सम्बन्ध में निर्माणकर्ता/भू-स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे। उक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।